न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2023/332 (जीसीएमएस नम्बर 2023/528)

1. राजेन्द्र पुत्र ज्ञानीराम (मृतक) जर्ये–
1/1. अमन पुत्र राजेन्द्र
1/2. अरमान पुत्र राजेन्द्र
1/3. बबीता पुत्री राजेन्द्र
1/4. सोनीया पुत्री राजेन्द्र
2. सुनील पुत्र ज्ञानीराम
समस्त जाति लीलगर, निवासी जोडिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
3. सजना देवी पत्नी ज्ञानीराम, **(नाम हजफ आदेश दिनांक 08.01.2025 द्वारा)**

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलेक्टर, अलवर निर्णय दिनांक 15.02.1983

उपस्थित :–
1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –10.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 15.02.1983 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.11.2023 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत जोडिया, पंचायत समिति कोटकासिम ने दिनांक 22.01.1983 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 1 पारित कर ग्राम जोडिया के खसरा नम्बर 51 की 15 बीघा 5 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि को सोशियल फौरेस्ट्री हेतु ग्राम पंचायत जोडिया को आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया। उप जिलाधीश किशनगढ़ बास ने संस्तुति की है। उप तहसीलदार कोटकासिम ने ग्राम पंचायत जोडिया को उक्त भूमि के सामाजिक वानिकी प्रयोजनार्थ आवंटन करने में कोई एतराज नहीं किया गया। जिला कलक्टर अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.1983 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम जोडिया तहसील किशनगढ़ बास के खसरा नम्बर 51 की 15 बीघा 5 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि को सामाजिक वानिकी उपयोग हेतु आरक्षित की गई तथा ग्राम पंचायत जोडिया को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 15.02.1983 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.1983 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिलाधीश अलवर को विवादित भूमि पर काबिज अपीलान्टान् को बिना सुने बिना मौके की जांच किये ही अन्तर्गत धारा 92 एल.आर.एक्ट में सैटअपार्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। जिला कलक्टर द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। उक्त भूमि का जिस उद्देश्य के लिए क्षेत्राधिकार बाहर जाकर आवंटन दिनांक 15.02.1983 के अनुसार किया गया था, उसका नामान्तकरण संख्या 502 दिनांक 31.08.1985 को स्वीकार किया गया। अपीलान्टान् के पिता ज्ञानीराम के हक में हुए आवंटन के विपरीत न तो कोई अपील सक्षम अदालत में राज्य सरकार द्वारा की गई है न किसी भी दीगर द्वारा ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश के तहत अपीलान्टान् का पिता खातेदार हो गया व उसका राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना आवश्यक हैं। राजस्व रिकार्ड में आवंटी के नाम का अंकन करना स्वयं तहसीलदार जी व पटवारी हल्का का कर्तव्य अन्तर्गत धारा 133 व 135 लैण्ड रिकार्ड में किया जाना था लेकिन अन्तर्गत धारा 133 व 135 के तहत राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की आज्ञा प्रसारित करने का अधिकार भी श्रीमान् जी को डाईरेक्टर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से दिया जाना आवश्यक हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुसार अपील श्रीमान् जी के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अपीलान्टान् द्वारा जानकारी से अपील माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत की गई थी, जिसके विरूद्ध अपीलान्टान् ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनांक 06.11.2023 को निर्णय होने से व निर्देशानुसार श्रीमान् जी के समक्ष 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में अपील राजस्व मण्डल की आज्ञा से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जावे कि वे मौके की जांच कर आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में ज्ञानीराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज करते हुए अपीलान्टान् के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने एवं जिला कलक्टर, अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.1983 को निरस्त करने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.1983 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में आवंटन आदेश तथा गैर खातेदारी दर्ज होने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि आदेश क्रमांक 12–3 (34) राज/83/2359 दिनांक 15.02.1983 द्वारा सामाजिक वानिकी उपयोग हेतु आरक्षित की गई है। उक्तानुसार किया गया आरक्षण जन उपयोगी होने के कारण उक्तानुसार आरक्षण विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अपने आवंटन/स्वत्व के समर्थन में कोई सुसंगत दस्तावेज यथा गैर खातेदारी का नामान्तकरण, आवंटन आदेश इत्यादि प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। बिना आवंटन आदेश तथा गैर खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुये किसी भी अन्य माध्यम से राजकीय भूमि का आवंटन वैध नहीं माना जा सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.1983 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.1983 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर